

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या-मो० -37/17(सांख्यिकी)-

3763

खिबेर
/क०, पटना, दिनांक 07 अगस्त, 2017

शुद्धि पत्र

वर्ष 2017-18 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 150.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये, कुल 175.00 करोड़ रुपये (एक अरब सत्तर करोड़ रुपये) के लिए निर्गत स्वीकृति आदेश संख्या 2293 दिनांक 02.06.2017 के कंडिका 15 के पारा 5 में अंकित "अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में DBT के माध्यम से किया जायेगा", के जगह पर "अनुदान की राशि लाभार्थी को ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा" पढ़ा जाय।

शेष यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]
6.8.2017
(सुधीर कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या :

/क०, पटना, दिनांक अगस्त, 2017

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
6.8.2017
सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या :

3763

/क०, पटना, दिनांक 07 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त /जिला के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
6.8.2017
सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या :

3763

/क०, पटना, दिनांक 07 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निदेशक(शष्य), परिक्षेत्र/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
6.8.2017
सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या :

3763

/क०, पटना, दिनांक 07 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०/प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
6.8.2017
सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।